फा. सं.-NCTE-Regl011/78/2020-यूएस(विनियमन)-मुख्यालय **दिनांक: 09.06.2021**

सेवा में,

राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी शिक्षा सचिव/आयुक्त

विषय- शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 50वीं सामान्य निकाय की बैठक में लिए गए निर्णय और शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 7 जून, 2021 के पत्र संख्या 21-3/2021-आईएस.1 के अनुमोदन के अनुसार, एनसीटीई द्वारा दिनांक 11/02/2011 के पत्र संख्या 76-4/2010/एनसीटीई/अकादमिक द्वारा जारी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संचालित करने के लिए दिशानिर्देशों के पैरा 11 के दूसरे वाक्य **"नियुक्ति के लिए टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सभी श्रेणियों के लिए अधिकतम सात वर्ष के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा तय की जाएगी।"** को **"नियुक्ति के लिए टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, जब तक कि उपयुक्त सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाए, जीवन-भर के लिए वैध रहेगी"** द्वारा **प्रतिस्थापित** किया जाएगा।

2. पैरा 11 के अन्य वाक्य यथावत रहेंगे।

3. चूंकि यह प्रावधान टीईटी दिशानिर्देशों के लागू होने की तिथि अर्थात 11.02.2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा, इसलिए संबंधित निकाय/राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश उन अभ्यर्थियों, जिनकी 7 (सात) वर्ष की अवधि बीत चुकी है, के लिए नए टीईटी प्रमाण-पत्र को पुनः मान्य करने/जारी करने के लिए आवश्यक करेंगे।

भवदीय,

ह/-

(सुश्री केसांग यांगज़ोम शेरपा, आईआरएस)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

- **i.** **राज्य मंत्री (शिक्षा मंत्रालय) के निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001**
- **ii.** **सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता), शिक्षा मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001**
- **iii.** **आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016**
- **iv.** **आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307**
- **v.** **अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केंद्र, 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, नई दिल्ली, दिल्ली-110092**
- **vi.** **अध्यक्ष, भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद, प्रगति हाउस, तृतीय तल, 47-48, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019**